प्रेस नोट **29/03/2025**

25000 (पच्चीस हजार) रुपये इनामिया गैरजनपदीय गैंगेस्टर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में वांछित/इनामिया अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बस स्टैण्ड मऊ के पास से मु0अ0सं0 27/2025 धारा 2(b)(i) व 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में 25000 रुपये इनामिया गैरजनपदीय अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र कायम सिंह निवासी पैढत थाना एका जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया । उक्त अभियुक्त पर पूर्व में गोवध संबंधित अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. राजेश कुमार पुत्र कायम सिंह निवासी पैढत थाना एका जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अख्तर अली थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. का0 सलमान अहमद थाना रानीपुर जनपद मऊ।

मुकदमे का विवरण-

1. मु0अ0सं0 27/2025 धारा 2(b)(i) व 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना रानीपुर जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त–

1. मु0अ0सं0 01/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 27/25 धारा 2(b)(i) व 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना रानीपुर जनपद मऊ।

पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया–

आज दिनांक 29.03.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस व धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

एक नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 29.03.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर एक नफर वारण्टी अभियुक्त धीरज कुमार पुत्र जगदीश निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष कठोर कारावास व ₹30,000-30,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 29-03-2025 को मु0अ0सं0 52/2017, 54/2017 और 55/2017 धारा 302, 394, 120B, 411 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्तगण सद्दाम पुत्र असलम निवासी खानपुर थाना घोसी, राफ़त पुत्र मो0 फैजल निवासी भटकुआ पट्टी थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹30,000-30,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी केश कुमार थाना हलधरपुर का सराहनीय योगदान रहा।